1.

3/6/22 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान उप. I P.O. छु. [illegible] है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/6/22 को पेश हो।

9/6/22 वकुलाय उप। अर्जी सं. 16 की तामील पेश है पेश हुई है। बाबपुर तामील सम्यक अत. अर्जी सं. 16 के क्रम पर तामील अनुपस्थित जानकारी भारी पायी है। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20/6/22 को पेश है।

20/6/22 वकुलाय उप। बहस हेतु अवसर चाहा। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 29/6/22 को पेश हो।

28/6/22 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/7/22 को पेश हो।

04/7/2022 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी एवं पक्षकार सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 20/7/2022 को पेश है।

राजेन्द्र कुमार वगै. बनाम भूमिधारी
मु.नं. 50/2021 धारा - 136 LR Act

20/9/2022 – पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल लायी जा चुकी है। तहसीलदार भूमिधारी की रिपोर्ट पूर्व से प्राप्त होने से पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 195 रकबा 1.01 हैक्टे. राजस्व ग्राम मानपुरा पटवार हल्का खादरा स्थित है। जिसके गत खसरा नंबर 93/1/1 थे। प्रार्थीगण का मौके पर कब्जा भी 1.01 हैक्टे. पर ही है परन्तु वर्तमान राजस्व नक्शे में माप अथवा रकबाबरारी करने पर क्षेत्रफल कम आता है। अतः प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जमाबंदी में अंकित रकबा अनुसार व मौके अनुसार तरमीम दुरूस्ती का अनुतोष चाहा है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ वर्तमान व गत राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां गत व वर्तमान नक्शा की प्रतियों के साथ एक राजीनामा सहमति पत्र जो प्रार्थीगण व इनके पडौसी खसरा नंबर 198 व 199 के कुछ सहखातेदारान के मध्य आपसी सीमा विवाद का निस्तारण करने के संबंध में एक सादा कागज पर लिखित है जिसमें खसरा नंबर 195 रकबा 1.01 हैक्टे. के खातेदारान जो कि प्रार्थीगण हैं को मौके पर भौतिक कब्जा दिये जाने एवं नक्शा ट्रेस दुरूस्ती हेतु आवश्यकता आने पर न्यायालय में गवाह बयान आदि दिये जाने हेतु सहमति का अंकन है। खसरा नंबर 198 व 199 के खातेदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकारान बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी पेश हुआ। जिसे न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में पूर्व से अप्रार्थी संख्या 01 भूमिधारी के अतिरिक्त खसरा नंबर 198 व 199 के खातेदारान को अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 30 संयोजित किया गया। उक्त अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजने के बावजूद अनुपस्थित रहने से समस्त अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गयी। जिन्होंने अपने पत्रांक भूअ/2021/3241 दिनांक 02.09.2021 द्वारा पटवारी हल्का खादरा की रिपोर्ट दिनांक 20.08.2021 प्रेषित की है। जिसके अनुसार प्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 195 का रकबा जमाबंदी में 1.01 हैक्टे. है, मौके पर प्रार्थीगण का कब्जा 1.01 हैक्टे. पर है, परन्तु राजस्व नक्शें में रकबाबरारी उपरान्त क्षेत्रफल 0.82 हैक्टे. ही है तथा प्रार्थीगण की भूमि के पश्चिम में स्थित अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नंबर 198, 199 का रकबा जमाबंदी में 0.66 हैक्टे. है, जिनकी राजस्व नक्शे में रकबाबरारी उपरान्त क्षेत्रफल 0.85 हैक्टे. है। पटवारी हल्का ने अपनी

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना